Emerging Trends in Education [Vol. 3 - No. 2. pp 73-78]

भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

सुरेन्द्र राम *

आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्तियों में भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों में होती है। सामान्य बालकों में थोड़ी–बहुत भिन्नता तो सर्वत्र दिखाई पड़ती है किन्तु कुछ बालकों में यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि वे सामान्य बालकों से अत्यधिक भिन्न हो जाते हैं। उनको अलग से पहचाना जा सकता है। ऐसे बालक "विशिष्ट बालक" कहलाते हैं। इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण ही इन्हें सामान्य कक्षा–कक्ष एवं वातावरण में समायोजित होने में कठिनाई होती है, अतः इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। 19वीं0 शताब्दी के पूर्व तक विकलांगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक था उन्हें या तो जन्म के समय ही मार दिया जाता था या समाज से अलग कर दिया जाता था परन्तु विगत वर्षों से समाज के दृष्टिकोण में विकलांगों की शिक्षा, समानता व समायोजन के प्रति सकारात्मक बदलाव आया है। समाज के दृष्टिकोण में बदलाव के कारण ही आज राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बालकों को शिक्षा, अधिकार, सहभागिता तथा समानता प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाएँ व नीतियाँ बनायी गयी हैं जैसे जोमॅटिंन विश्व घोषणा (1990), बीजिंग घोषणा (2000), कोठारी कमीशन (1966), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), निःशक्त जन अधिनियम (1995) तथा नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999) आदि। भारत वर्ष में ऐसे लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् स्थापित है जो पूरे विश्व में अपनी तरह की अनूठी संस्था है। इसके अतिरिक्त निःशक्त जनों के कल्याण हेतु अलग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी है। अनेक प्रकार के शोध अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि यथा समय ऐसे बच्चों की पहचान कर उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय तो इनकी शेष क्षमता का इष्टतम् विकास किया जा सकता है जिससे इस प्रकार के बच्चे भी सामान्य बालकों की तरह स्वयं, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनकर सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों में विकलांगता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विद्यमान हो और ये अभिवृत्ति तभी विकसित होगी जब एक शिक्षक विकलांग बच्चों व उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं से सम्बन्धित शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। विश्व कोश (1992) के अनुसार "विशेष शिक्षा एक ऐसा अनुदेशन है जो बालकों की उन विशिष्ट विशेषताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संगठित किया जाता है जिनकी पूर्ति सामान्य विद्यालयी पाठ्यक्रम द्वारा संभव नही होती है (राम–2005)।

प्रस्तुत शोध की आवश्यकता–

सामाजिक जागरूकता उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जागरूकता पर निर्भर करती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा के सन्दर्भ में जागरूकता शिक्षा से

* एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

जुड़े व्यक्तियों (शिक्षकों) की जागरूकता पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सबसे अधिक करीबी शिक्षक होता है, शिक्षक ही छात्र की आवश्यकताओं, रूचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को पहचान सकता है। अतः एक विशिष्ट बालक की क्या आवश्यकताएँ होती हैं? वह अपना समायोजन कैसे करे? उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके लिए कौन–कौन सी योजनाएँ चलायी जा रही हैं? जिससे वह अपनी योग्यताओं व क्षमताओं का विकास कर सकता है। इसलिए इस सन्दर्भ में शिक्षक कितना जागरूक है? विशेषकर उन अध्यापकों में कितनी जागरूकता है जिन्हें भविष्य में शिक्षा के कर्णधार बनना है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जितने भी शोध हुए हैं वे सेवारत अध्यापकों पर हुए हैं, बहुत कम शोध सेवापूर्व अध्यापकों पर हुए हैं। अतः इस क्षेत्र में अध्ययन की महती आवश्यकता है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएं–

प्रस्तुत अध्ययन में भावी शिक्षक से तात्पर्य शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी.एड.) में प्रवेशित छात्र / छात्राओं से है। विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त बालकों के शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास से है तथा जागरूकता से आशय इस हेतु उपयोग में लायी गयी 'विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता अभिमतावली द्वारा प्राप्त प्राप्तांको से है।

5.1.3 शोध के उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:

- भावी शिक्षकों में लिंगगत भिन्नता के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- भावी शिक्षकों में उनके निवास क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी) के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- भावी शिक्षकों में शैक्षिक योग्यता (परास्नातक / स्नातक) के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

5.1.4 शोध की परिकल्पनाएं–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:

- भावी शिक्षकों में लिंगगत भिन्नता के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- भावी शिक्षकों में उनके निवास क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी) के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- भावी शिक्षकों में शैक्षिक योग्यता (परास्नातक / स्नातक) के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन विधि एवं प्रक्रिया–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। इस हेतु वाराणसी शहर में स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी समग्र के रूप में परिभाषित किये गये हैं। शोधकर्ता ने उक्त जीवसंख्या से प्रायिकता यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के अन्तर्गत आने वाली लाटरी प्रविधि के माध्यम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का चयन करके उनमें अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को अपने अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया जो उपस्थित पाये गये। चयनित विद्यार्थियों से इस हेतु निर्मित जागरूकता अभिमतावली को भरवाया गया तथा उसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्राप्त किया गया। प्राप्त आकड़ों का अंकन करने के पश्चात उन्हे वर्गीकृत किया गया तथा उनको अर्थपूर्ण बनाने हेतु मध्यमान एवं मानक विचलन की गणना की गयी। दो मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता का आकलन करने हेतु क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयी तथा इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर शोध परिकल्पनाओं का निराकरण किया गया।

आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम एवं उनकी व्याख्या–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया था जिनका निराकरण उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियों के माध्यम से किया गया तथा परिणामों को प्राप्त किया गया जिनका विवरण निम्नलिखित है–

तालिका संख्या–1– लिंगगत आधार पर भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में अन्तर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पुरूष	104	17.95	3.45	परिगणितमान
महिला	16	17.56	3.84	0.383

परिणाम एवं व्याख्या– उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भावी महिला एवं पुरूश शिक्षकों के मध्यमानों के मध्य अन्तर वास्तविक न होकर संयोगवश है जिसके आधार पर प्रथम शून्य परिकल्पना 'भावी शिक्षकों में लिंगगत भिन्नता के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नही है' स्वीकार की जाती है तथा इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भावी महिला एवं पुरूष शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता समान है। इस परिणाम की पुष्टि प्रकाश (2009) के अध्ययन से प्राप्त परिणाम से भी होती है।

तालिका संख्या–2– निवास क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के आधार पर भावी शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में अन्तर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
ग्रामीण	68	18.15	3.30	परिगणितमान
शहरी	52	17.58	3.78	0.878

परिणाम एवं व्याख्या– उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भावी शिक्षकों के निवास स्थान शहरी / ग्रामीण के आधार पर उनके जागरूकता मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है तथा जो अन्तर दृष्टिगत हो रहा है वह वास्तविक न होकर संयोगवश है अतः इस परिणाम के आधार पर शून्य परिकल्पना "भावी शिक्षकों में निवास स्थान के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नही है।" स्वीकार की जाती है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता पर निवास स्थान का कोई विशेष प्रभाव नही पड़ता। शहरी लोगों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भावी शिक्षकों में भी जागरूकता पायी जाती है।

तालिका संख्या–3– शिक्षक की योग्यता के आधार पर भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में अन्तर

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
परास्नातक	55	18.74	3.36	परिगणितमान
स्नातक	65	17.18	3.48	2.476*

* 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

परिणाम एवं व्याख्या– उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक योग्यता (स्नातक एवं परास्नातक) के आधार पर भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर है। इसके आधार पर शून्य परिकल्पना "भावी शिक्षकों में शैक्षिक योग्यता के अनुसार विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार की जाती है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भावी शिक्षकों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूक में अन्तर है। इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि स्नातक शिक्षकों की तुलना में परास्नातक शिक्षा प्राप्त शिक्षक अधिक जागरूकता पाये गये। इस परिणाम की पुष्टि शर्मा एवं अन्य (2009) के अध्ययन से प्राप्त परिणाम से भी होती है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समाज की विशिष्ट शिक्षा के प्रति परम्परागत सोच, विश्वास, अभिवृत्ति एवं जागरूकता में परिवर्तन हो रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज निर्माण में शिल्पी का कार्य करने वाले भावी शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूक हैं तथा वे भी ऐसे बच्चों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण को लेकर संवेदनशील हैं। प्रस्तुत शोध के परिणाम इस ओर भी इंगित करते हैं कि पुरूष एवं महिला तथा ग्रामीण एवं शहरी भावी शिक्षक समान रूप से विशिष्ट शिक्षा के प्रति जागरूक हैं।

प्रस्तुत शोध के परिणाम यह भी स्पष्ट करते हैं कि कम शैक्षिक योग्यता धारी भावी शिक्षकों की तुलना में अधिक शैक्षिक योग्यता धारी भावी शिक्षक अधिक जागरूक पाये गये। इस

प्रकार कहा जा सकता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक भागीदारी, समानता, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति समाज का अत्यन्त ही प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण वर्ग जो कि भावी शिक्षक है जागरूक है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी पूरी निष्ठा, लगन एवं कुशलता के साथ समाज के सदियो से उपेक्षित वर्ग जिसे विकलांग कहा जाता है की सेवा के प्रति तत्पर हो सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ– प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षो के आधार पर अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नवत् हैं–

- सेवापूर्व अध्यापकों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति उच्च जागरूकता उन्हें कक्षा–शिक्षण के दौरान शिक्षण–अधिगम की परिस्थितियों को सुधारने व उन्हें व्यवस्थित एवं नियोजित करने में सहायक हो सकती है।

- एक जागरूक अध्यापक ही विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शैक्षिक सेवाएँ प्रदान कर उन्हें इस योग्य बना सकते हैं कि वे समाज में अपने आपको समायोजित करने में सक्षम हो सकें।

- एक जागरूक अध्यापक ही विशिष्ट बालकों के लिए संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं जैसे खेल, निर्देशन व परामर्श व पुस्तकालयी सुविधाएँ आदि को उनके लिए उपलब्ध करा सकता है।

- एक जागरूक अध्यापक ही अपने अध्यापन के दौरान अपनी शिक्षण व्यूह रचना को इस प्रकार व्यवस्थित व परिवर्तित कर सकता है कि यदि उसकी कक्षा में कोई विशिष्ट बालक उपस्थिति हो तो वह सामान्य बालकों की तरह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

- एक जागरूक अध्यापक ही विशिष्ट बालकों के लिए अनुकूल कक्षागत परिस्थिति का निर्माण कर सकता है जो विशिष्ट बालकों के अधिगम में सहायक हो सकती है।

- एक जागरूक अध्यापक ही समाज को विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं व विशिष्ट शिक्षा की उपयोगिता के सम्बन्ध में सही दिशा–निर्देशन दे सकता है।

शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सुझाव–

- शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सेवापूर्व अध्यापकों को विशिष्ट बालकों के शिक्षण–अधिगम से सम्बन्धित विशिष्ट कौशलों में निपुण बनाना चाहिए।

- शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार हेतु विशिष्ट बालकों से सम्बन्धित विशिष्ट कौशलों के अनुरूप नये पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। यह कार्य राष्ट्रीय

अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाना चाहिए।

- सेवापूर्व अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास के दौरान कम से कम 15 दिन ऐसे विद्यालयों में शिक्षण अभ्यास करना चाहिए जो विद्यालय विशिष्ट बालकों से सम्बन्धित हों।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- प्रकाश, एस. (2009): अवेयरनेस ऑफ बी0एच0यू0 टीचर टूवर्डस् स्पेशल एज्यूकेशन, लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0 वाराणसी।
- राम, पी.एस. (2005): विशिश्ट बालक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।
- शर्मा एवं अन्य (2009): एट्टीटयूड एण्ड कंसर्न आफ प्री–सर्विस टीचर रीगार्डिंग इनक्लूजन ऑफ स्टूडेन्ट विथ डिसैबिलिटज इन टू रेगुलर स्कूल इन पुणे, इण्डिया, एशिया पैशिफिक जर्नल ऑफ टीचर एज्यूकेशन, वाल्यूम–37 इश्यू–3 अगस्त, 2009।